



प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

विषय:- जनपद मैनपुरी में परम्परागत श्री देवी मेला एवं ग्राम्य सुधार प्रदर्शनी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ख्यातिलब्ध कलाकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 29/सं०नि०-15(15)/2025-26, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 एवं सहायक पर्यटन अधिकारी, फिरोजाबाद/ मैनपुरी के पत्र संख्या- 8288/(आ०)/ एम०एम०/विविध आयोजन/ 2025 दिनांक 30 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद मैनपुरी में परम्परागत श्री देवी मेला एवं ग्राम्य सुधार प्रदर्शनी के अन्तर्गत दिनांक 13.04.2026 को उत्तर प्रदेश के ख्यातिलब्ध कलाकार श्री बृजेश शान्दिल्य के भजन गायन के कार्यक्रम हेतु रू० 12.98 लाख (जी०एस०टी० सहित) के व्यय से अवगत कराते हुए धनराशि जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् मैनपुरी के खाते में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद मैनपुरी में परम्परागत श्री देवी मेला एवं ग्राम्य सुधार प्रदर्शनी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ख्यातिलब्ध कलाकार श्री बृजेश शान्दिल्य के भजन गायन के कार्यक्रम हेतु **रू० 12.98 लाख (जी०एस०टी० सहित) (रूपये बारह लाख अठानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
- (5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
- (7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
- (8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
- (9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत धनराशि आहरित कर जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, मैनपुरी को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन -19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मैनपुरी।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।